


7/11/24

बत्रावली पेश हुई। वकील वादी / बार्थी उप है।
वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार
बत्रावली दिनांक _____ को पेश

अपराधी से 7 का जवाब बन्द किया जाता है मूल काद
प्राथमिक डिक्री की जा चुकी है। अतः T.I प्राथमिक
पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं है। प्राथमिक
पत्र सन्तगीत धारा - 212 खारिज किया जाता है।
बत्रावली नम्बर से रक्त घोर दाखिल 6444
हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपरवर्त अधिकारी
साँभर लेवल

